

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्य.वाद कं.- 61ए/2014
प्रस्तुति दिनांक-17.06.2014

रघुलाल पति श्री अन्तलाल, उम्र 57 वर्ष, जाति मरार,
निवासी ग्राम कुरेण्डा, तहसील परसवाड़ा,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

----- आवेदक/वादी

बनाम

1-पंचम पिता सम्पू, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी ग्राम कुरेण्डा, तहसील परसवाड़ा,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

2-धरमसिंह पिता तिवादी, उम्र 58 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी ग्राम कुरेण्डा, तहसील परसवाड़ा,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

3-म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर महोदय,
तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)- - - - - अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

1-वादी की ओर से श्री आर.बी.पाठक अधिवक्ता।

2-प्रतिवादी क्रमांक-2 की ओर से श्री नारायण ठाकरे अधिवक्ता।

3-प्रतिवादी क्रमांक-1 एकपक्षीय।

4-प्रतिवादी क्रमांक-3 अनिर्वाहित।

आदेश

दिनांक-03/07/2014 को पारित

1- इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 1) का निराकरण किया जा रहा है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3- आवेदक/वादी का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के कब्जे व मालकी की मौजा कुरेण्डा, प.ह.न. 16, रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट में स्थित खसरा नं. 440/6, रकबा 1.619 हेक्टेयर भूमि(जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) है। उक्त विवादित भूमि वर्ष 1980 में वादी ने

रायसिंह वल्द मंगलसिंह से क़य कर किया था तब से वह शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 के पूर्वजों को वर्ष 1980-81 में शासकीय भूमि खसरा नं. 457/3, रकबा 2.50 एकड़ पट्टे पर प्राप्त हुई थी, जो कि विवादित भूमि से काफी दूर स्थित है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 के पूर्वजों द्वारा कास्त किया जाता था। वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 द्वारा कास्त नहीं किया जाता तथा उक्त भूमि पर अन्य किसी और का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 द्वारा अनाधिकृत रूप से पटवारी से नाप करवाकर वादी की विवादित भूमि में से लगभग 1.50 एकड़ भूमि को अपना बता रहे हैं तथा उक्त भूमि पर जबरन प्रवेश कर दखल अन्दाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। वादी द्वारा उक्त विवादित भूमि का सीमांकन करने हेतु तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में आवेदन दिया गया था, परन्तु राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा बहाने बाजी करते हुए उक्त विवादित भूमि का नक्शा नहीं काटा गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 द्वारा राजस्व अधिकारियों से मेल जोलकर वादी के कब्जे व मालिकी की भूमि को हड़प करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 को दखल देने से ना रोका गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। अतएव विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 को हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

4- प्रतिवादी क्रमांक-2 ने आवेदन के जवाब में आवेदन पत्र के अभिवचन से इंकार करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदक/वादी द्वारा अनावेदक क्रमांक-2 की भूमि को हड़पने की गरज से झूठा आवेदन पत्र पेश किया गया है, उसके द्वारा कभी भी अपनी भूमि का सीमांकन नहीं करवाया गया है। अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन करवाया गया है, जो कि उसके स्वयं की कब्जे वाली भूमि है। अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा आवेदक की किसी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। आवेदक ने अपने आवेदन में यह नहीं बताया है कि अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा उसकी कितनी भूमि पर कब्जा किया गया है। आवेदक द्वारा स्वयं अनावेदक क्रमांक-2 की कुछ भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र इस डर से पेश किया गया है कि यदि अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन करवाया जाता है तो आवेदक के द्वारा अनावेदक क्रमांक-2 की जिस भूमि पर कब्जा किया गया है वह निकल जायेगी। आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक-2 को प्रकरण में झूठा पक्षकार बनाया गया है उसके द्वारा आवेदक की किसी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया

और न हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव आवेदक का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-1 ने आवेदन का जवाब पेश नहीं किया था वह एकपक्षीय है तथा प्रतिवादी क्रमांक-3 अनिर्वाहित है।

6— **आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:-**

- 1— क्या प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है?
- 3— क्या आवेदक/वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उसे अपूर्णीय क्षति होना संभावित है।

: : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

7— आवेदक/वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि से संबंधित वर्ष 1962 का चकबंदी नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि, वर्ष 1989 में तैयार राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है, इसके अलावा विवादित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश की गई है, जिसमें विवादित भूमि वादी के नाम पर दर्ज होना प्रकट होता है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। वादी ने आवेदन के समर्थन में स्वयं का औपचारिक शपथ पत्र पेश किया है जबकि प्रतिवादी क्रमांक-2 ने जवाब के समर्थन में शपथ पत्र पेश नहीं किया है। वादी की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि के पड़ोसी हैं तथा उन्हें शासकीय भूमि पट्टे में प्राप्त हुई थी, किन्तु विवादित भूमि को अपनी भूमि होना बताते हुए हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं।

8— प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य होना प्रकट होता है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। वादी का आवेदन पर उसके शपथ पत्र से समर्थित है, जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब के समर्थन में कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में बनता है।

9— वादी के स्वत्व व आधिपत्य वाली विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना प्रथम दृष्ट्या प्रकट होती है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण को ना रोका गया तो वादी को तुलनात्मक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है तथा वादी को अपूर्ण क्षति होना भी संभावित है। अतएव विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 से 3 वादी के पक्ष में पाये जाते हैं।

10— उपरोक्त सम्पूर्ण कारणों से आवेदक/वादीगण का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. (आई.ए.नं.1) स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वाद के अंतिम निराकरण तक वादी के आधिपत्य वाली विवादित भूमि में स्वयं या अन्य के माध्यम से विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाये बगैर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर